राजस्व विभाग

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका

वर्ष 2013-14

एवं

वार्षिक कार्य योजना 2014-15

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाँऊ तथा गढ़वाल दो मण्डल आते हैं। वर्ष 1790 से पूर्व कुमाँऊ में चन्द राजाओं तथा गढ़वाल में परमार अथवा पंवार राजाओं का शासन था। वर्ष 1790–91 में नेपाल की ओर से आक्रमण होने के पश्चात् पूरा कुमाँऊ तथा गढ़वाल का क्षेत्र गोरखों के अधीन हो गया। वर्ष 1815 की सन्धि के उपरान्त वर्तमान जनपद टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी का क्षेत्र राजा सुदर्शन शाह को प्राप्त हुआ तथा वर्तमान जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग तथा चमोली का क्षेत्र समस्त कुमाँऊ मण्डल के साथ अंग्रेजी के अधिपत्य में आ गया। इस प्रकार वर्ष 1947 तक तत्कालीन टिहरी रियासत में राजा का एवं तत्कालीन ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाँऊ में अंग्रेजों का शासन था। देश आजाद होने के बाद टिहरी रियासत का विलय पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में हो गया और समस्त क्षेत्र आयुक्त, कुमाँऊ के अधीन आ गया। उस समय कुमाँऊ मण्डल के अन्तर्गत गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं नैनीताल नाम के जिले आते थे। अन्य पर्वतीय जनपदों का तब तक सृजन नहीं हुआ था।

तत्कालीन कुमाँऊ मण्डल के सीमान्त क्षेत्र की संवेदनशीलता एवं चीन से सम्भावित युद्ध की पृष्ठ भूमि में गढ़वाल जनपद को विभक्त करते हुए चमोली जनपद, टिहरी जनपद को विभक्त करते हुए उत्तरकाशी जनपद एवं अल्मोड़ा जनपद को विभक्त करते हुए पिथौरागढ़ जनपद का सृजन सन् 1960 में किया गया। यह तीनों जनपद 31.03.1974 तक भारत सरकार से वित्त पोषित होते रहे तथा इन जनपदों को उत्तराखण्ड मण्डल में जिसका मुख्यालय लखनऊ में था रखा गया। वर्ष 1960 में पर्वतीय क्षेत्रों में जमीदारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए "कुमाँऊ एवं उत्तराखण्ड जमीदारी विनाश अधिनियम–1960" (कूजा) बनाया गया था। दिनांक 01.12.1968 को कुमाँऊ मण्डल का विघटन करते हुए गढ़वाल मण्डल का सृजन किया गया।

जनपद देहरादून पूर्व में मेरठ मण्डल के अधीन था। गढ़वाल मण्डल के गठन के बाद दिनांक 04.06.1975 को देहरादून जनपद को मेरठ मण्डल से हटाते हुए गढ़वाल मण्डल में सम्मिलित किया गया। जनपद हरिद्वार वर्ष 1984 तक तहसील रूड़की का भाग था तथा तहसील रूड़की तद्समय जनपद सहारनपुर का भाग थी एवं जनपद सहारपुर, मेरठ मण्डल के अधीन था। दिनांक 02.10.1984 को तहसील हरिद्वार का सृजन किया गया। वर्ष 1986 कुम्भ मेले के दौरान कुम्भ स्नान के समय भगदड़ होने के कारण 46 लोगों की मृत्यु हो गयी थी, जिसकी न्यायिक जांच शासन द्वारा कराई थी। इस पृष्ठ भूमि में हरिद्वार को जनपद बनाये जाने की मांग ने जोर पकड़ा और पूर्ववर्ती उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 28.12.1988 को जनपद हरिद्वार का सृजन किया गया। दिनांक 15.04.1997 को मेरठ मण्डल को विभाजित करते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं हरिद्वार को सम्मिलित करते हुए एक अलग मण्डल सहारनपुर का सृजन किया गया था। दिनांक 09.11.2000 को उत्तराखण्ड गठन के बाद जनपद हरिद्वार को उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल में सम्मिलित किया गया।

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य के समय चार नये जनपदों क्रमशः उधमसिंहनगर, बागेश्वर, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग का सृजन किया गया। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में कुल दो मण्डल एवं 13 जनपद हैं।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद शासन में राजस्व विभाग के आधुनिक, गतिशील एवं जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं प्रारम्भ की गयी। पूर्व में विभाग की जो छवि पुराने भवनों में कार्य करने वाले एवं पुराने वाहनों की सहायता से दैनिक कार्य सम्पन्न करने की बनी हुई थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गयी एवं तद्नुसार व्यवस्था को कार्यरूप दिया गया।

(2) विभागीय संरचना एवं कार्यकलाप

1. राजस्व विभाग की विभागीय संरचना

⇓

मा0 राजस्व मंत्री

⇓

प्रमुख सचिव/सचिव

⇓

अपर सचिव

⇓

अनु सचिव

⇓

राजस्व परिषद् का संगठन

⇓

1. अध्यक्ष राजस्व परिषद्
2. आयुक्त एवं सचिव/सदस्य न्यायिक, मुख्यालय, देहरादून/सर्किट कोर्ट, पौड़ी
3. सदस्य न्यायिक, सर्किट कोर्ट, नैनीताल

⇓

आयुक्त (2 मण्डल)

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
2. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल

⇓

जिलाधिकारी (13 जनपद)

⇓

सबडिविजन (59)

⇓

तहसील (92)

⇓

उप तहसील (6)

⇓

तहसीलदार (85)

⇓

नायब तहसीलदार/पेशकार (120)

⇓

भू–लेख निरीक्षक

1. राजस्व निरीक्षक(पर्वतीय) 126
2. भूलेख निरीक्षक (मैदानी) 34

⇓

राजस्व उप निरीक्षक (935)

⇓

लेखपाल (709)

2. उत्तराखण्ड के सब डिवीजन एवं उनके अधीन कार्यरत तहसील/उपतहसीलों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सब डिवीजन का नाम	अधीनस्थ तहसील	उप तहसील	अन्य विवरण
1	टिहरी गढ़वाल	टिहरी	1. टिहरी 2. धनोल्टी 3. कण्डीसौड़ (नवसृजित) 4. नैनबाग(नवसृजित)	—	अधिसूचना सं0–89/XVIII(1)/2013–2(19)/2011 दि0 18.01.2013 के द्वारा सृजित अधिसूचना सं0–1851(2)/XVIII(1)/2013–2(8)/2010 दि0 29.11.2013 के द्वारा सृजित
		प्रतापनगर	1. प्रतापनगर	—	
		नरेन्द्रनगर	1. नरेन्द्रनगर 2. गजा (उच्चीकृत)		अधिसूचना सं0–1736/XVIII(1)/2013–2(9)/2009 दि0 01.11.2013 के द्वारा सृजित
		घनसाली	1. घनसाली 2. जाखणीधार	—	
		कीर्तिनगर	1. देवप्रयाग	—	
2.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	1. रूद्रप्रयाग	—	
		ऊखीमठ	1. ऊखीमठ	—	
		जखोली	1. जखोली	—	
3.	हरिद्वार	हरिद्वार	1. हरिद्वार	—	
		रूड़की	1. रूड़की 2. भगवानपुर (नवसृजित)	— 1. नारसन (नवसृजित)	अधिसूचना सं0–851(2)/XVIII(1)/2013–2(19)/ 2011 दि0 09.09.2013 के द्वारा सृजित अधिसूचना सं0–884/XVIII(1)/2013–2(10)/2013 दि0 01.11.2013 के द्वारा सृजित
		लक्सर	1. लक्सर	—	
4.	उत्तरकाशी	भटवाडी	1. भटवाडी	—	
		डुण्डा	1. डुण्डा 2. चिन्यालीसौड़	—	
		बड़कोट	1. बड़कोट	—	
		पुरोला	1. पुरोला 2. मोरी	—	
5.	चमोली	चमोली	1. चमोली 2. घाट (उच्चीकृत)	—	अधिसूचना सं0–86/XVIII(1)/2013–2(19)/2011 दि0 18.01.2013 के द्वारा सृजित
		जोशीमठ	1. जोशीमठ		
		कर्णप्रयाग	1. कर्णप्रयाग	—	
		थराली	1. थराली	—	
		गैरसैंण	1. गैरसैंण 2. आदिबद्री (चांदपुर गढ़ी) (नवसृजित)	—	अधिसूचना सं0–87/XVIII(1)/2013–2(19)/2011 दि0 18.01.2013 के द्वारा सृजित
		पोखरी	1. पोखरी	—	

6.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	1. पौड़ी 2. चौबट्टाखाल	—	
		लैन्सडौन	1. लैन्सडौन 2. सतपुली	—	
		कोटद्वार	1. कोटद्वार 2. यमकेश्वर	—	
		श्रीनगर	1. श्रीनगर	—	
		धुमाकोट	1. धुमाकोट	—	
		थैलीसैंण	1. थैलीसैंण 2. चाकीसैंण(नवसृजित)	—	अधिसूचना सं0–846/XVIII(1)/2013–09 (1)/2010 दि0 28.11.2013 के द्वारा सृजित
7.	देहरादून	देहरादून	देहरादून	—	
		विकासनगर	विकासनगर	—	
		ऋषिकेश	ऋषिकेश	—	
		चकराता	1. चकराता 2. कालसी 3. त्यूणी	—	
8.	नैनीताल	कोश्या–कुटोली	1 कोश्या–कटोली 2. बेतालघाट	—	
		नैनीताल	1. नैनीताल	—	
		धारी	1. धारी	—	
		रामनगर	1. रामनगर	—	
		हल्द्वानी	1. हल्द्वानी 2. लालकुआँ 3. कालाढूंगी	—	
9.	चम्पावत	लोहाघाट	1. लोहाघाट 2.चम्पावत 3. बाराकोट(उच्चीकृत)		अधिसूचना सं0–70/XVIII(1)/2014–2 (15)/2013 दि0 20.01.2014
		पूर्णागिरी	1. पूर्णागिरी	—	
		पाटी	1. पाटी	—	
10.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़	—	
		डीडीहाट	1. डीडीहाट	1. देवस्थल 2. कनालीछीना	
		धारचूला	1. धारचूला 2. बंगापानी (नवसृजित)		अधिसूचना सं0–88/ XVIII(1)/2013–2 (19)/2011 दि0 18.01.2013 के द्वारा सृजित
		मुनस्यारी	1. मुनस्यारी	—	
		बेरीनाग	1. बेरीनाग	—	
		गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट 2. गणाई गंगोली (नवसृजित)	—	अधिसूचना सं0–503(2)/XVIII(1)/2013 –2(2)/2013 दि0 12.09.2013 के द्वारा सृजित
11.	अल्मोड़ा	सल्ट	1.सल्ट(मौलेखाल)	—	
		भिक्यासैंण	1. भिक्यासैंण 2. चौखुटिया 3. स्याल्दे(नवसृजित)	—	अधिसूचना सं0–1659/XVIII(1)/ 2013–09(8)/2009 दि0 07.11.2013 के द्वारा सृजित

		रानीखेत	1. रानीखेत 2. द्वारहाट	—	
		अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा 2. सोमेश्वर 3. धौलछीना (नवसृजित)	—	अधिसूचना सं0–1378(2)/XVIII(1)/2013–2 (11)/2012 दि0 03.09.2013 के द्वारा सृजित।
				1–लमगड़ा (नव सृजित)	अधिसूचना सं0–1813/XVIII(1)/ 2013–2 (1)/2011टीसीदि0 21.11.2013 के द्वारा सृजित।
		जैंती	1. जैंती 2. भनौली	—	
12.	ऊधमसिंहनगर	काशीपुर	1. जसपुर 2.काशीपुर	—	
		बाजपुर	1. बाजपुर 2. गदरपुर	—	
		किच्छा(रूद्रपुर)	1.किच्छा 2. रूद्रपुर(नव सृजित)	—	अधिसूचना सं0–1215(2)/XVIII(1)/2013–2(19)/2011 दि0 15.01.2014
		सितारगंज	1. सितारगंज	—	
		खटीमा	1. खटीमा	—	
13.	बागेश्वर	बागेश्वर	1. बागेश्वर	1. काफलीगैर	
		गरूड़	1. गरूड़	—	
		कपकोट	1. कपकोट	1. शामा	अधिसूचना सं0–617/XVIII(1)/2013–2 (9)/2013 दि0 23.10.2013 के द्वारा सृजित
		काण्डा	1 काण्डा 2 दुगनाकुरी (नवसृजित)		अधिसूचना सं0–38(2)/XVIII(1)/2013–02 (2)/2011 दि0 11.09.2013 के द्वारा सृजित
योग	13 जनपद	59 डिवीजन	92 तहसील	06 उपतहसील	

3. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1113/XVIII(1)/2013–4/2007 दिनांक 19 जुलाई, 2013 से उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) सेवा नियमावली–2013 के प्रख्यापन उपरान्त जनपदवार राजस्व पटवारी क्षेत्र/गैर राजस्व पुलिस क्षेत्र/लेखपाल क्षेत्र/राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों की संख्या

क्र0सं0	जनपद का नाम	कुल पटवारी चौकियों की संख्या	राजस्व पुलिस क्षेत्र की पटवारी चौकियों की संख्या	गैर राजस्व पुलिस क्षेत्र की पटवारी चौकियों की संख्या	लेखपाल क्षेत्र की संख्या	राजस्व निरीक्षक क्षेत्र की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	चम्पावत	27	27	—	44	08
2.	पौड़ी	214	213	01	24	23
3.	नैनीताल	55	55	—	50	14 (07 पर्वतीय 07 मैदानीय)
4.	बागेश्वर	36	36	—	24	05
5.	उत्तरकाशी	64	64	—	32	15
6.	रूद्रप्रयाग	43	43	—	09	06
7.	अल्मोड़ा	174	174	—	37	17
8.	टिहरी	101	101	—	82	14
9.	पिथौरागढ़	116	116	—	28	17
10.	देहरादून	33	33	—	79	09 (04 पर्वतीय 05 मैदानीय)
11.	चमोली	72	72	—	02	10
12.	हरिद्वार	—	—	—	156	08 मैदानी
13.	उधमसिंहनगर	—	—	—	142	14 मैदानी
योग		935	934	01	709	160 (126 पर्वतीय एवं 34 मैदानी)

4. कलेक्ट्रेट/तहसीलों में रिक्त पदों पर भर्ती की स्थिति

क्र0 सं0	विभाग का नाम	रिक्त पद	पूर्व में चल रही रिक्तियों की संख्या, जिनमें भर्ती प्रक्रिया चल रही है	रिक्तियों की संख्या जिसमें निकट भविष्य में नियुक्तियां होने वाली है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार	120	90	नायब तहसीलदार के सीधी भर्ती के रिक्त 30 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है तथा पदोन्नति के 60 रिक्त पदों पर परिषद् स्तर से तदर्थ पदोन्नति की गयी है तथा इन रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।
2.		कनिष्ठ सहायक	30	30	शासन के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर चयन हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की को नियुक्ति प्राधिकारी/जिलाधिकारियों के माध्यम से अधियाचन प्रेषित किये गये हैं। भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।
3.		आशुलेखक	28	28	
4.		सर्वे विशेषज्ञ	—	02	
5.		भूमापक	—	02	
6.		वाहन चालक	53	53	डाईंग कैडर घोषित। आउटसोर्सिंग से भरे जाने हैं।
7.		लेखपाल	260	260	लेखपाल व राजस्व उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु जिलाधिकारियों को सम्बन्धित मण्डलायुक्त को अधियाचन प्रेषित करने हेतु परिषद् स्तर से निर्देशित किया गया है।
8.		राजस्व उप निरीक्षक	153	153	

5. राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड का गठन :—

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त प्रदेश में राजस्व विभाग हेतु मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन की स्थापना की गई थी। इस विभाग को और गतिशील व प्रभावी बनाने के लिये **दिनांक 01.05.2012 को मुख्य राजस्व आयुक्त के स्थान पर उत्तर प्रदेश की भांति राजस्व परिषद् का सृजन किया गया है।** इसमें राजस्व विभाग के अधीन तहसीलदार तक के समस्त संवर्गों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य सम्पन्न किया जाता है। यह राजस्व विभाग की सर्वोच्च न्यायिक संस्था भी है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसकी दो सर्किट कोर्ट जनपद नैनीताल एवं पौड़ी में भी स्थापित है। कुमाँऊ मण्डल से सम्बन्धित समस्त राजस्व वादों का निस्तारण सर्किट कोर्ट, नैनीताल में किया जाता है एवं गढ़वाल मण्डल पर्वतीय जनपदों से सम्बन्धित राजस्व वादों का निस्तारण सर्किट कोर्ट पौड़ी में किया जाता है। जनपद देहरादून एवं हरिद्वार से सम्बन्धित राजस्व वादों का निस्तारण देहरादून स्थित मुख्यालय से किया जाता है। राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड कार्यालय की आवश्यकता एवं गरिमा के अनुरूप अलग मुख्यालय भवन हरिद्वार—मसूरी बाईपास मार्ग पर लाडपुर में निर्मित कर संचालित किया जा रहा है।

विधि में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार राजस्व वादों का निस्तारण राजस्व विभाग में स्थापित विभिन्न स्तर के न्यायालयों द्वारा सम्पन्न किया गया जाता है। गत राजस्व वर्ष में 01.10.2012 से 30.09.2013 तक 211849 वादों में से 166626 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। आलोच्य राजस्व वर्ष में 31.01.2014 तक कुल 96532 राजस्व वादों में से 04 माह के अन्दर 58065 वादों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार राजस्व वादों के निस्तारण का प्रतिशत 60% है।

उत्तराखण्ड राज्य में राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति

क— राजस्व वर्ष 2012—13 (दिनांक 01.10.2012 से 30.09.2013 तक की स्थिति)

दिनांक 01.10.2012 को अवशेष वाद	01.10.2012 से 30.09.2013 तक दायर वाद	योग	01.10.2012 से 30.09.2013 तक निस्तारित वाद	01.10.2013 को अवशेष वाद	प्रतिशत
38951	172898	211849	166626	45223	79 प्रतिशत

ख— राजस्व वर्ष 2013—14 (दिनांक 01.10.2013 से 31.01.2014 तक की स्थिति)

दिनांक 01.10.2013 को अवशेष वाद	01.10.2013 से 31.01.2014 तक दायर वाद	योग	01.10.2013 से 31.01.2014 तक निस्तारित वाद	01.02.2014 को अवशेष वाद	प्रतिशत
45223	51309	96532	58065	38467	60 प्रतिशत

6. राजस्व पुलिस निदेशालय का गठन –

ब्रिटिश काल में तत्कालीन कुमाँऊ मण्डल (पूर्ववर्ती जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल) में "दि शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्स एक्ट, 1874" के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या–494/VIII–418–16 दिनांक 07.03.1916 द्वारा पटवारी, कानूनगो तथा पेशकार (नायब तहसीलदार) को पुलिस शक्तियाँ प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता के उपरान्त तत्कालीन टिहरी रियासत (वर्तमान जनपद टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी) के भारतीय संघ में विलय के बाद "दि टिहरी गढ़वाल रेवेन्यू ऑफिशियल्स (स्पेशल पावर्स) एक्ट 1956" द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जनपदों के पटवारियों, कानूनगो तथा पेशकार/नायब तहसीलदारों को भी पुलिस शक्तियाँ प्रदान की गई। कालान्तर में "दि जौनसार बावर परगना (डिस्ट्रिक्ट देहरादून) रेवेन्यू ऑफीशियल्य (स्पेशल पावर्स) एक्ट 1958 द्वारा जनपद देहरादून के जौनसार–बावर परगने के पटवारियों, कानूनगों तथा नायब तहसीलदारों को भी पुलिस शक्तियाँ प्रदान की गई।

प्रदेश का लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राजस्व पुलिस के पास है। राजस्व पुलिस के कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पन्न करने एवं समय–समय पर उनका यथेष्ट मार्गदर्शन करने के लिए निदेशालय का गठन किया जाना आवश्यक समझा गया। जिसके अन्तर्गत राजस्व पुलिस संगठन में निम्न प्रकार अधिकारियों को पदेन रूप से पद नामित किया गया है :–

1.	मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस	– अध्यक्ष, राजस्व परिषद् (पदेन)
2.	अपर मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस	– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल (पदेन)
3.	संचालक, राजस्व पुलिस	– आयुक्त एवं सचिव (पदेन)

उक्त निदेशालय का कार्यालय राजस्व परिषद् कार्यालय में ही बनाया गया है, जिसके लिए आवश्यक स्टाफ राजस्व परिषद् कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

7. राजस्व पुलिस का सुदृढ़ीकरण –

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में राजस्व पुलिस सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत एक पृथक राजस्व पुलिस एक्ट/अधिनियम बनाये जाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्व पुलिस के समुचित प्रशिक्षण तथा उन्हें अन्य सुविधायें दिये जाने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

- **राजस्व पुलिस से सम्बन्धित तहसीलों पर वायरलेस उपलब्ध कराया जाना –**

राजस्व पुलिस से सम्बन्धित कार्यों में संचार सुविधाओं को सुदृढ़ किये जाने तथा सम्पर्क व समन्वय को बेहतर बनाये जाने की दृष्टि से दोनों मण्डलों में तहसील स्तर तक 50 बी0एच0एफ0 स्टेटिक सेट तथा 100 बी0एच0एफ0 हैण्ड हेल्ड सेटस उपलब्ध कराये गये हैं।

- **पटवारी चौकियों का निर्माण**

राजस्व पुलिस सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड गठन के बाद पटवारी चौकियों के निर्माण के लिए ₹5.80 लाख प्रति चौकी की दर से निम्न प्रकार धनराशि अवमुक्त की गयी :–

क्रमांक	वर्ष	पटवारी चौकियों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
1	2005–2006	51	295.80
2	2006–2007	49	285.60
3	2007–2008	17	100.00
4	2008–2009	–	9.23
5	2009–2010	–	–
6	2010–2011	–	90.06
7	2011–2012	17	87.52
8	2012–2013	–	49.71
9	2013–2014	(सितारगंज में लेखपाल बैठक कक्ष हेतु)	10.62

पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु 131 राजस्व/भूलेख निरीक्षक (कानूनगो) चौकी आवास/कार्यालय के निर्माण हेतु रूपया 3.80 करोड़ की धनराशि 50 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत हुई। किन्तु दरों में वृद्धि के कारण वर्ष 2007–08 में 51 कानूनगो चौकियों का निर्माण हेतु प्रति चौकी ₹14.83 लाख की दर से कुल ₹756.33 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

- **राजस्व पुलिस हेतु वाहनों की उपलब्धता –**

राजस्व पुलिस कर्मियों को गतिशील बनाने के लिए राजस्व पुलिस से सम्बन्धित 39 तहसीलों में प्रत्येक तहसील पर एक जिप्सी वाहन आवंटित किया जा चुका है। इस वाहन का प्रयोग सामान्यतः नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व पुलिस के कार्यों हेतु किया जाता है। अन्य तहसीलों को राजस्व पुलिस कार्यों के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व निरीक्षक को राजस्व पुलिस के सम्बन्ध में पुलिस निरीक्षक की शक्तियाँ दी गयी हैं। भूलेख निरीक्षक को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के हेतु क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता था, जिससे संगीन वारदात होने पर वह काफी विलम्ब से घटना स्थल पर पहुंच पाते थे। अतः राजस्व निरीक्षक को शासन स्तर पर मोटर साइकिल दिए जाने का निर्णय लिया गया। अब

तक 74 मोटर साइकिल राजस्व निरीक्षकों को दी जा चुकी हैं। अवशेष निरीक्षकों को भी मोटर साइकिलें स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

- **<u>राजस्व पुलिस संवर्ग का पुनर्गठन एवं वेतनमान उच्चीकरण :–</u>**

शासनादेश संख्या–471/XVIII(1)/2011–3/2008 दिनांक 02 अप्रैल, 2011 द्वारा राजस्व पुलिस संवर्ग राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी अनुसेवक के पदनाम, वेतनमान एवं शैक्षिक अर्हता वर्तमान व्यवस्था को निम्न तालिका के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है।

वर्तमान व्यवस्था				पुनरीक्षित व्यवस्था		
क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	वर्तमान वेतनमान (₹)	पदनाम	संशोधित वेतनमान (₹)	शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो)	प्रोन्नति का पद	(4500–7000) ₹5200–20200 +ग्रेड पे 2800	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो)	(5000–8000) ₹9300–34800 +ग्रेड पे 4200	प्रोन्नति का पद
2.	पटवारी	इण्डरमीडिएट (सीधी भर्ती)	(3050–4590) ₹5200–20200 +ग्रेड पे 1900	राजस्व उप निरीक्षक	(4500–7000) ₹5200–20200 +ग्रेड पे 2800	स्नातक (सीधी भर्ती)
3.	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय)/ पटवारी अनुसेवक	समूह ''घ'' नियमावली के अनुसार	(2500–3200) ₹4440–7440 +ग्रेड पे 1300	राजस्व सेवक	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 2550–3200 35% 2650–4000 33% 2750–4400 25% 3050–4590 10% ₹1000/–प्रतिकर भत्ता	समूह ''घ'' नियमावली के अनुसार

- **राजस्व निरीक्षक के शत प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जाना –**

राजस्व पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत भूलेख निरीक्षक को पुलिस निरीक्षक एवं पटवारियों को थानाध्यक्ष की शक्तियाँ प्राप्त है। पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात भूलेख निरीक्षकों के स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से एवं 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था थी। राजस्व पुलिस का मनोबल बढ़ाये जाने के लिये शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त शतप्रतिशत भूलेख निरीक्षकों के पदों को प्रोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में पटवारियों के पदोन्नति के अवसर में वृद्धि हुई है।

- **ग्राम प्रहरियों की तैनाती –**

नियमित पुलिस क्षेत्र में विभिन्न अपराधों एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें गांव में तैनात चौकीदार से प्राप्त करती रहती है। इस तरह की व्यवस्था राजस्व पुलिस के क्षेत्र में नहीं थी। अतः पटवारियों को सूचना संकलन तथा उन्हें सूचनाएं

प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। इस समस्या के निवारण हेतु राजस्व पुलिस की सहायतार्थ प्रत्येक ग्राम सभा पर एक ग्राम प्रहरी की नियुक्ति की गयी।

इस नियुक्ति में ग्राम प्रधानों के लिए आरक्षित पदों के अनुरूप ग्राम प्रहरी की तैनाती सुनिश्चित की गयी। इन ग्राम प्रहरियों को पुलिस चौकीदारों की तरह ₹200.00 प्रतिमाह मानदेय एवं वर्दी दी जाती थी। वर्तमान में शासनादेश संख्या–1529/XVIII(1)/2011–3(12)/2008 दिनांक 14.11.2011 से ग्राम प्रहरी को ₹500–00 मानदेय कर दिया गया है। ग्राम प्रहरियों की वर्दी का निर्धारण नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के सहयोग से किया गया है तथा ₹750/– प्रति ग्राम प्रहरी की दर से जिलाधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इन ग्राम प्रहरियों को कोई घटना होने पर तत्काल उसकी सूचना पटवारी को देनी होती है, अन्यथा वे 15 दिन में एक बार पटवारी चौकी में उपस्थित होकर 15 दिन में घटित घटनाओं का विवरण उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं तिथियों में से एक तिथि में उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। जनपदवार तैनात ग्राम प्रहरियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

जनपदवार ग्राम प्रहरियों की तैनाती का विवरण

क्रमांक	जनपद का नाम	ग्राम प्रहरियों के स्वीकृत पदों की संख्या	उपलब्ध ग्राम प्रहरियों की संख्या
1.	अल्मोड़ा	827	667
2.	नैनीताल	297	227
3.	चम्पावत	86	86
4.	पिथौरागढ़	391	353
5.	बागेश्वर	141	123
कुमाँऊ मण्डल का योग		**1742**	**1456**
6.	चमोली	482	412
7.	देहरादून	131	129
8.	उत्तरकाशी	263	235
9.	पौड़ी गढ़वाल	892	786
10.	टिहरी गढ़वाल	369	369
11	रूद्रप्रयाग	252	164
गढ़वाल मण्डल का योग		**2389**	**2095**
कुल योग		**4131**	**3551**

- **राजस्व पुलिस को उनके कार्यों में सहयोग के लिए आवष्यक सन्दर्भ साहित्य की उपलब्धता –**

राजस्व पुलिस के उपयोगार्थ अधिनियमों/नियमों से सम्बन्धित 1360 सेट, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम/विविध अधिनियम भाग–1/भाग–2/भाग–3/भाग–4/ पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु/ हिंसा से सम्बन्धित पुस्तकें डॉ0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद से वर्ष 2009–10 में क्रय की गई थी, जिसका वितरण जनपदों/मण्डल कार्यालयों में निम्न प्रकार किया गया है :–

जिलाधिकारी पुस्तकालय हेतु–11, आयुक्त पुस्तकालय हेतु–02, अपर मुख्य राजस्व आयुक्त हेतु 01, मुख्य राजस्व आयुक्त हेतु 01, राजस्व पुलिस निदेशालय हेतु 01, कार्यालय पुस्तकालय हेतु 03 सेट, प्रमुख सचिव राजस्व/अपर सचिव राजस्व/शासन के राजस्व अनुभाग हेतु कुल 04 सेट तथा उप जिलाधिकारियों को 47, तहसीलदारों हेतु 58 नायब तहसीलदारों हेतु 72, राजस्व निरीक्षकों हेतु 118 एवं पटवारियों हेतु 1042 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है।

- **पटवारी पद पर पदोन्नति में पटवारी अनुसेवकों के कोटे में वृद्धि –**

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य में पटवारी के पद पर 90 प्रतिशत सीधी भर्ती से एवं 10 प्रतिशत कोटा पटवारी अनुसेवकों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था थी। उत्तराखण्ड राज्य में अनुसेवकों से पदोन्नति का कोटा हाईस्कूल अभ्यर्थियों के लिए 15 प्रतिशत एवं इण्टरमीडिएट हेतु 10 प्रतिशत अर्थात कुल 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

- **प्रशिक्षण की अवधि में छूट प्रदान किया जाना –**

पटवारी से भूलेख निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति से पूर्व छः माह के प्रशिक्षण की अनिवार्यता है। पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य में अनेक पटवारियों की 20 वर्ष की सेवा हाने के उपरान्त भी भूलेख निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो सका था। शासन द्वारा उक्त 6 माह की अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुये 03 माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। जिसके अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- **स्टेशनरी भत्ते एवं गोश्वारा भत्ते में वृद्धि –**

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य में राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल को स्टेशनरी भत्ता ₹10.00 एवं गोश्वारा भत्ता ₹20.00 प्रतिमाह दिया जाता था। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद शासन द्वारा पटवारियों को मिल रहे स्टेशनरी भत्ते को ₹100.00 प्रतिमाह एवं गोश्वारा भत्ते को ₹60.00 प्रतिमाह कर दिया गया है।

8. भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण –

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना वर्ष 1994–95 में प्रारम्भ की गयी थी। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद इस योजना के तहत राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रत्येक कलेक्ट्रेट स्तर पर एन0आई0सी0 द्वारा किया गया। अब तक कलेक्ट्रेट स्तर पर भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

द्वितीय चरण में तहसील स्तर पर भू–अभिलेखों के कम्पयूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर डाटा केन्द्र की स्थापना, प्रदेश स्तर पर मॉनीटरिंग केन्द्र की स्थापना, कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।

वर्तमान में समस्त तहसीलों में खतौनियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और खतौनी कम्प्यूटरीकृत प्रति को विधिक मान्यता प्रदान करते हुये केवल कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रतियां तहसीलों में उपलब्ध कराई जा रही है। खतौनी की कम्प्यूटरीकृत प्रति के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। खतौनी की प्रति जारी करने से होने वाली आय का लेखा–जोखा रखने हेतु जनपद में सोसायटी का गठन किया गया है।

- **''राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' (NLRMP)**

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण की अब तक की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों को समाप्त कर भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) के रूप में एक नई समग्र योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत समस्त भूमि अभिलेखों यथा खतौनी, खसरा, नक्शा राजस्व अभिलेखागारों में उपलब्ध अभिलेख सहित भूमि का पुनः सर्वेक्षण कर त्रुटिहित नक्शा व अन्य संगत विवरण डिजीटाईज्ड कर आम जन के लिए सुलभ कराया जाना है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सम्पत्तियों के निबंधन व अमलदरामद आदि को भी पूर्ण रूप में कम्प्यूटराईज्ड किया जाना प्रस्तावित है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों को इस स्तर तक त्रुटिरहित करना है कि सम्पत्ति के बैनामें (रजिस्ट्री) के साथ ही केता का सम्पत्ति पर स्वामित्व प्रमाणित हो जाय। राज्य में इस योजना को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्न कार्यवाही की गई है।

1– उत्तराखण्ड सरकार और भारत सरकार के (भूमि संसाधन विभाग) के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किये गये।

2– राज्य में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। एवं उसके तहत भारत सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाईन के अनुरूप उत्तराखण्ड लैण्ड रिर्काड मोर्डनाइेजेशन सोसाईटी का (ULRMS) पंजीकरण कराया गया, इसी कम में दिनांक 12.12.2013 को प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट की पहली बैठक आयोजित की गई एवं भारत सरकार को निम्न प्रस्ताव भेजे गये है।

I) राज्य में भूमि प्रशासन को सुदृढ करने एवं आधुनिक तकनीक जैसे GPS एवं ETS आदि विधियों द्वारा कार्य कुशलता बढाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित NLRMP Cell का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

II) PMU Cell के अन्तर्गत स्टाफ एवं अन्य उपकरणों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

III) राज्य में कैडस्टल मेप डिजीटाईजेशन कार्य के लिए प्रथम फेस में जिला– पौडी एवं अल्मोड़ा को चयन किया गया है। जिनके प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये है।

IV) भूलेख कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत केवल ZA खतौनियों का ही कम्प्यूटरीकरण किया गया है। अतः Non-ZA खतौनी का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

V) राज्य में 46 सब रजिस्ट्रार कार्यालय हैं, जिनमें में से 19 सब रजिस्ट्रार कार्यालय कम्प्यूटरीकृत किये गये है। बाकि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर Online करने एवं भूलेख केन्द्रों से जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

9. जिला स्तर पर खतौनी का कम्प्यूटरीकरण –

वर्तमान में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य की प्रगति जनपदवार निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कम्प्यूटरीकृत ग्रामों की संख्या	कुल कितने खाते दर्ज किये गये	अवशेष खाते	अभ्युक्ति
1	उत्तरकाशी	681	681	55,263	–	–
2	चमोली	1256	1256	49,222	–	–
3	टिहरी गढ़वाल	1848	1848	1,27,502	–	–
4	देहरादून	788	788	1,46,118	–	–
5	पौड़ी गढ़वाल	3477	3477	1,32,733	–	–
6	रूद्रप्रयाग	681	681	37,894	–	–
7	हरिद्वार	639	639	1,22,468	–	–
8	नैनीताल	1093	1093	98,861	–	–
9	अल्मोड़ा	2248	2248	1,79,225	–	–
10	पिथौरागढ़	1638	1638	85,785	–	–
11	उधमसिंहनगर	684	684	1,22,575	–	–
12	बागेश्वर	910	910	41,661	–	–
13	चम्पावत	691	691	37,298	–	–

* उपरोक्त विवरण जमीदारी विनाश खतौनियों से सम्बन्धित है।

- **अटल आदर्श ग्रामों के लिए खतौनी वितरण –**

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर अटल आदर्श ग्रामों का चयन सरकार द्वारा किया गया है। इन ग्रामों में कम्प्यूटर केन्द्र भी स्थापित किये जा रहे हैं। यह प्रयास किया जा रहा है कि इन्ही ग्रामों में लोगों को खतौनी वितरित हो सके। वर्तमान में कम्प्यूटरीकृत खतौनियाँ तहसील स्तर पर वितरित की जा रही है।

10. राजस्व विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण –

शासन द्वारा राजस्व विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गयी है :–

क्रमांक	वर्ष	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि (लाख ₹ में)
1	2007–08	100.00	100–00 (प्रस्तावित)
2	2008–09	500.00	227.29
3	2009–10	25.00	25.00
4	2010–11	300.00	300.00
5	2011–12	400.00	165.25
6	2012–13	750.00	692.56
7	2013–14	400.00	137.23

11. कलेक्ट्रेट के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

शासनादेश संख्या	विषय	धनराशि
403/XVIII(1)/2012–1(12)/2011 दि0 19.07.2012	आयुक्त सभागार कक्ष, पौड़ी का निर्माण	50,00,000–00
377/XVIII(1)/2012–1(13)/2008 दि0 19.07.2012	देहरादून में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण	51,12,000–00
800/XVIII(1)(6)/2012–1/2005 दि0 27.10.2012	जिलाधिकारी, गढ़वाल के राजकीय आवास में विद्युतीकरण कार्य	91,000–00
811/XVIII(1)/2012–1(13)/2008 दि0 17.10.2012	जनपद पौड़ी में नवीन कलक्ट्रेट भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति	50,00,000–00
256/XVIII(1)/2013–1(13)/2010 दि0 28.02.2013	विशेष आयोनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत पौड़ी में नवीन भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	4,42,56,000–00
970/XVIII(1)/2012–1(22)/2010 दि0 12.10.2012	राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैब का निर्माण	50,00,000–00

12. तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण –

तहसील पोखरी/कोटद्वार/कोश्याकुटोली/रामनगर/धारचुला/पुरोला/गैरसैंण/जैंती/द्वाराहाट/चौखुटिया हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के लिए 8.00 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के लिए वर्षवार बजट प्राविधान एवं स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	वर्ष	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि (लाख ₹ में)
1	2007–08	500.00	493.94
2	2008–09	800.00	956–93 (पटवारी चौकियों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष रू0 156.93 लाख पुनर्विनियोग किया गया)
3	2009–10	75.00	75.00
4	2010–11	1200.00	1200.00
5	2011–12	1100.00	404.00
6	2012–13	800.00	800.00
7	2013–14	600.00	294.88

13. कानूनगो/पटवारी चौकियों का निर्माण –

(क) पटवारी चौकियों की संख्या, पूर्ण पटवारी चौकी, अपूर्ण पटवारी चौकी, ऐसी पटवारी चौकी जिनमें निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ –

जनपद	कुल	पूर्ण रूप से निर्मित	निर्माणाधीन/अपूर्ण	निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।
देहरादून	39	36	03	–
पौड़ी	234	142	25	06
उत्तरकाशी	96	74	05	–
बागेश्वर	60	58	01	–
चम्पावत	68	67	–	–
नैनीताल	55	19	04	07
पिथौरागढ़	144	134	–	–
अल्मोड़ा	211	205	05	–
टिहरी	183	122	10	43
चमोली	74	46	01	15
रूद्रप्रयाग	52	16	35	01
योग	**1216**	**919**	**109**	**72**

(ख) पटवारी चौकियों की संख्या, पूर्ण पटवारी चौकी, उपयोग में लायी जा रही पटवारी चौकियाँ एवं ऐसी पटवारी चौकियाँ जो अब तक उपयोग में नहीं लायी जा रही है –

जनपद	कुल	पूर्ण रूप से निर्मित	उपयोग में लायी जा रही पटवारी चौकियों की संख्या	कार्य अपूर्ण अथवा अन्य कारणों से उपयोग में नहीं लायी जा रही चौकियों की संख्या
देहरादून	39	36	32	07
पौड़ी	234	142	135	99
उत्तरकाशी	96	74	49	15
बागेश्वर	60	58	53	07
चम्पावत	68	67	67	नवसृजित प0चौ0 इजड़ा निर्मित नहीं है।
नैनीताल	55	19	09	20
पिथौरागढ़	144	134	131	13
अल्मोड़ा	211	205	167	44 (18 प0चौ0 पद रिक्त के कारण उपयोग में नहीं है)
टिहरी	183	122	124	59
चमोली	74	46	44	30
रूद्रप्रयाग	52	16	22	30
योग	**1216**	**919**	**853**	**325**

14. भूमि सुधार कार्यों को लागू किया जाना –

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून एवं हरिद्वार पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में मेरठ मण्डल के भाग थे। अतः हरिद्वार एवं देहरादून (तहसील चकराता छोड़कर) जनपदों में जमींदारी विनाश वर्ष 1951–52 के दौरान किया गया था। जनपद ऊधमसिंहनगर के राजकीय आस्थानों से सम्बन्धित भूमि के गांवों को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में भी भूमि सुधार वर्ष 1951–52 में किया गया था, जबकि जनपद उधमसिंहनगर के राजकीय आस्थानों की भूमि से जमींदारी विनाश बाद से किया गया। जनपद देहरादून की तहसील चकराता में जमींदारी विनाश हेतु एक अलग से जमींदारी विनाश अधिनियम "जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1956" के अधीन किया गया था। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में जमींदारी विनाश, "कुमाँऊ एवं उत्तराखण्ड भूमि विनाश अधिनियम–1960" लागू किया गया।

- **उत्तराखण्ड में भूमि के अनियंत्रित क्रय–विक्रय का विनियमन –**

उत्तराखण्ड गठन के बाद प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तथा महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के अनियंत्रित क्रय–विक्रय के फलस्वरूप भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। उत्तराखण्ड में कृषि योग्य भूमि केवल 13 प्रतिशत है और कृषि योग्य भूमि का अकृषक कार्यों हेतु प्रयोजन उत्तराखण्ड के हित में नहीं है। अतः जनता की मांग पर उत्तराखण्ड में अनियंत्रित भूमि क्रय–विक्रय को नियंत्रित करने हेतु एक अध्यादेश दिनांक 12.09.2003 को जारी किया गया। यह अध्यादेश हिमांचल में मौजूदा कानून के अनुरूप तैयार किया गया था परन्तु इस कानून को कुछ वर्ग के लोगों द्वारा विरोध किये जाने पर विधान

सभा में संशोधित अधिनियम का प्रारूप रखा गया था। विधानसभा द्वारा एक उपसमिति का गठन किया गया और उपसमिति की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूति व्यवस्था अधिनियम–1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2001) (संशोधन) अधिनियम–2003 पारित किया गया।

उत्तराखण्ड में भूमि के अनियंत्रित क्रय–विक्रय की बढ़ती प्रवृत्ति तथा भूमाफियाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2001) (संशोधन) अधिनियम 2003 दिनांक 15 जनवरी, 2004 एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम– 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 में उत्तराखण्ड शासन के गजट संख्या–1066/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007 दिनांक 10 मई, 2007 से संशोधन कर निम्नलिखित प्राविधान किये गये है :–

कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं या परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिग सन्तान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता–पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु भले ही वह धारा–129 के अधीन खातेदार या उत्तराखण्ड में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्गमीटर भूमि क्रय कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदता है, जिसके पक्ष में ले–आउट प्लान अनुमोदित है, तो 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि क्रय करने के लिये उसे शासन से अनुमति लेनी होगी। अन्यथा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम–1950 में संशोधन करके जाली वसीयतनामों की प्रचुर मात्रा में कूट रचना से बचने के लिये वसीयतनामें का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराधिकार के क्रम को पारम्परिक संयुक्त परिवार से एक परिवार के पक्ष में परिवर्तित करते हुए महिलाओं को उत्तराधिकारी क्रम में वरीयता प्रदान कर दी गयी है। इस विनियमन के बावजूद राज्य सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि क्रय प्रस्तावों को तत्परता से निस्तारित किया जा रहा है, जिससे कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।

- चकबन्दी के अधीन लिये गये क्षेत्रों में कतिपय कारणों से चकबन्दी प्रारम्भ न होने के कारण मृतक खातेदारों के वारिसानों के नाम एवं भूमि के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों मे दर्ज नहीं किये जा सके। अतः उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम–1953 की धारा–6 में संशोधित करके इसको दूर कर दिया गया है। जनपद हरिद्वार व उधमसिंहनगर में चकबन्दी प्रक्रियाधीन है, पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी के सम्बन्ध में भी प्रक्रिया/व्यवथा अपनाए जाने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप–459/XVIII(2)/2009 दिनांक 20.02.2009 से मा0 कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड में चकबन्दी से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :–

उत्तराखण्ड में चकबन्दी से सम्बन्धित विवरण–पत्र

जनपद का नाम	चकबन्दी में लिए गये ग्रामों की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है	धारा–6 के अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबन्दी समाप्त/स्थगनादेश आदि से तहसील को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है
1	2	3	4	5
1. उधमसिंहनगर	273	122	100	51
2. चम्पावत	28	02	26	—
3. नैनीताल	20	03	15	02
4. हरिद्वार	579	271	152	156
योग	**900**	**398**	**293**	**209**

• **राज्य में चकबन्दी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में** – बिखरी हुई कृषि जोतों को एकत्र कर चकबन्दी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाये जाने के परिपेक्ष्य में चकबन्दी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2609/ग्टप्प्(2)/2013–7 (01)/2011 दिनांक 20 अगस्त, 2013 से इस विषय की विधिक, वित्तीय, व्यवहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने हेतु मा0 मंत्रीमण्डल की उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें मा0 वित्त मंत्री जी, को अध्यक्ष, मा0 राजस्व मंत्री, मा0 कृषि मंत्री, सदस्य, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, मा0 नियोजन मंत्री को सदस्य तथा सचिव राजस्व विभाग को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है, जो अपनी संस्तुति यथाशीघ्र मंत्रीमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश की कृषि नीति में चकबन्दी अपनाने वाले ग्रामों को कई सुविधाऐं अनुमन्य करने की व्यवस्था की गयी है।

चकबन्दी कार्यों को सुनियोजित ढंग से सम्पादित करने हेतु एक न्यूनतम विभागीय ढांचा भी तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

15– सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य –

माह जनवरी, 2014 तक की स्थिति सर्वेक्षण इकाई उधमसिंहनगर कुल 46 ग्रामों में बन्दोबस्त होना प्रस्तावित है। एक ग्राम को छोड़कर बाकी 45 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिसमें से 02 ग्रामों में प्रारम्भिक अभिलेखों की तैयारी प्रपत्र–9 सर्वेक्षण खसरा तैयारी, 05 ग्रामों में प्रपत्र–14 पुनरीक्षित खसरा कार्य, 25 ग्रामों में प्रपत्र–15–पुनरीक्षित कार्य तथा 08 ग्रामों में जिल्द बन्दोबस्त तैयारी का कार्य चल रहा है। बाकी 05 ग्रामों में भी सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ चल रहा है। इस प्रकार सर्वेक्षण इकाई उधमसिंहनगर के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर में 26 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है तथा 01 ग्राम में सर्वेक्षण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा जनपद नैनीताल के 19 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

सर्वेक्षण इकाई देहरादून के अन्तर्गत कुल 32 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में 19 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है व प्रपत्र–7 खसरा मुताविक कार्य 04

ग्रामों में प्रपत्र–10 (पर्ची/खतौनी) 05 ग्रामों में चल रहा है तथा प्रपत्र–15 (पुनरीक्षित खतौनी) का 02 ग्रामों में कार्य चल रहा है।

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) के अन्तर्गत भी सर्वेक्षण/पुर्नसर्वेक्षण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर राज्य में सर्वेक्षण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

16– राजस्व ग्रामों का सृजन – वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह जनवरी, 2014 तक शासन द्वारा 20 नये राजस्व ग्रामों के सृजन की अधिसूचना जारी की गयी है।

17. पर्वतीय क्षेत्रों में गैर जमींदारी विनाश भूमि को रक्षित स्तर से मुक्त किया जाना –

(क) पर्वतीय क्षेत्रों के बेनाप भूमि –

पर्वतीय क्षेत्रों की बेनाप भूमि पर काबिज अवैध अध्यासियों को पूर्व में तत्कालीन उ0प्र0 शासन के समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार नियमित कर पट्टे दिए जाते रहे हैं। किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–202/1995 टी0एन0गोडाबर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भारत सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के अनुपालन में उक्त नियमितिकरण रोक दिया गया था। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेष संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 दिनांक 11.11.2011 से पर्वतीय क्षेत्रों के ऐसी बेनाप भूमि जहाँ वन नहीं है, को वन संरक्षण अधिनियम से मुक्त करते हुए प्रदेश के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इससे लगभग 3.00 लाख हे0 भूमि राजस्व भूमि श्रेणी में आयी है एवं विभिन्न विकास कार्यों तथा भूमिहीनों को आवंटन हेतु उपलब्ध हुई है।

(ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण का सरलीकरण –

विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 20,000 हे0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राविधान शासनादेश संख्या–2173/18(II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अन्तर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये गये हैं। उक्त अधिकार जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को दिये जाने से विभिन्न विकास योजनाओं हेतु भूमि हस्तान्तरण में निश्चित रूप से गति आयी है।

(ग) भूमिहीनों को भूमि का आवंटनः–

शासनादेश संख्या 2096/18(प्र)/2012–18(120) 2010 दिनांक 09 अगस्त 2012 के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में गर्वमेंट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत बी0पी0एल0परिवारों,अन्य आवासीय विहीन परिवारों,प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवारों को आवास स्थल एवं गौशाला निर्माण हेतु 180वर्ग गज भूमि आवंटन का अधिकार जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

(घ) संक्रमणीय भूमिधर/कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार :–

राज्य सरकार द्वारा जून, 1983 तक के वर्ग–4 के कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला उधमसिंहनगर में पुर्नवास योजना के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को आवंटित भूमि में स्थित कब्जेदारों को भी भूमिधरी अधिकार दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

18– राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाना –

- **राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों, भारत सरकार के विभागों/उपक्रमों एवं अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन –**

वर्ष 2012–13 में माह मार्च, 2013 तक विभिन्न 12 केन्द्रीय सरकार के विभागों/संस्थाओं को 13.550 हे0 भूमि पट्टे पर आवंटित की गई है तथा राज्य सरकार के 36 विभागों को 172.9230 हे0 सिविल सोयम भूमि विभिन्न विकास परियोजनाओं/कार्यों के लिए हस्तान्तरित की गयी है। इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर, एन0आई0टी0 श्रीनगर, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन एवं एस0एस0सी0 केन्द्रीय विद्यालयों तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सालयों के साथ–साथ चमोली व पौड़ी में इंजीनियरिंग कालेजों देहरादून मेडिकल कालेज, ई0एस0आई0 मेडिकल कालेज, विभिन्न पालिटेक्निक कालेज, आई0टी0आई0 व सम्पूर्ण मार्गों के लिए भी भूमि का आवंटन किया गया है।

19. जनपदवार खाम भूमि के पट्टों की संख्या तथा भूमि का क्षेत्रफल

क्र0सं0	जनपद का नाम	पट्टों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	देहरादून	–	–
2.	गढ़वाल	–	–
3.	टिहरी गढ़वाल	–	–
4.	उत्तरकाशी	–	–
5.	चमोली	–	–
6.	हरिद्वार	–	–
7.	रूद्रप्रयाग	–	–
8.	नैनीताल	3310	2135.14 है0
9.	अल्मोड़ा	–	–
10.	पिथौरागढ़	–	–
11.	उधमसिंहनगर	5023	4128.786 है0
12.	चम्पावत	515	41.720 है0
13.	बागेश्वर	–	–

20. ग्रामीण सीलिंग सम्बन्धी कार्यों का विवरण

जनपद/मण्डल का नाम	सीलिंग में योजित भूमि (एकड़ में)	कब्जे में ली गयी भूमि का क्षेत्रफल	आवंटित भूमि	आवंटन हेतु अवषेष	न्यायालय स्थगन/कब्जा के अभाव एवं सरकार हेतु आरक्षित भूमि
1	2	3	4	5	6
गढ़वाल मण्डल	11328.12	7087.33	4871.42	2215.91	4174.04
कुमाँऊ मण्डल	4624.68	3513.49	1786.85	1726.64	1620.06
योग	**15952.80**	**10600.82**	**6658.27**	**3942.55**	**5794.10**

21. कृषि पट्टाधारकों को संक्रमणीय अधिकार दिया जाना –

गर्वमेंटग्रांट एक्ट 1895 के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन के लिए दिए गए भूमि पट्टों के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–761/18(II)12–2(01)/2010 दिनांक 30मई 2012 व संख्या 1882/18(II)/2012–2(01)/10 दिनांक 19 जुलाई 2012 व परिषदादेश संख्या 1987/रा0प0–भूमि आव0/2012 दिनांक 14 जून 2012 तथा संख्या 201(2)/रा0प0–012 दिनांक 31 जुलाई 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कृषि प्रयोजन के लिए दिए गए पट्टों के पटटेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिए जाने के आदेश हैं। जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक कृषि भूमि के पट्टेदारों को मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिये जाने से संबंधित स्थिति निम्न प्रकार हैः–

कृषि पट्टेदारों को भूमिघरी अधिकार देने संबंधी प्रगतिः–

क0 सं0	मण्डल	पट्टेदारों की संख्या जिन्होंने भूमिधरी अधिकार के लिए आवेदन किया	आवेदकों की संख्या जिन्हें अब तक भूमिधरी अधिकार दिये गये	आवेदकों की संख्या जिन्हे भूमिधरी अधिकार नहीं दिये गये
1	गढवाल मण्डल	03	—	03
2	कुमाऊँ मण्डल	1745	661	1084
योगः–		**1748**	**661**	**1087**

22. मुख्य एवं विविध देयों की मांग एवं वसूली का विवरण पत्र (लाख ₹ में) वित्तीय वर्ष 2013–14

(31.01.2014 तक)

जनपद का नाम	मुख्य देय 01 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013			विविध देय 01 अप्रैल, 2013 से 31 जनवरी, 2014		
	शुद्ध मांग	कुल वसूली	प्रतिशत	शुद्ध मांग	कुल वसूली	प्रतिशत
1. चमोली	0.43	0.32	74	142.23	67.47	47
2. देहरादून	39.77	39.35	99	2999.62	1532.88	51
3. हरिद्वार	109.52	109.52	100	2919.36	1516.56	52
4. पौड़ी गढ़वाल	16.50	16.50	100	253.97	155.41	61
5. रूद्रप्रयाग	0.42	0.10	24	42.83	10.18	24
6. टिहरी गढ़वाल	0.98	0.98	100	229.44	76.22	33
7. उत्तरकाशी	0.92	0.58	63	330.35	59.51	18
मण्डल का योग	**168.54**	**167.35**	**99**	**6917.80**	**3418.23**	**49**
8. अल्मोड़ा	1.46	1.46	100	243.02	177.79	73
9. बागेश्वर	1.15	1.15	100	186.75	91.53	49
10. चम्पावत	3.01	2.45	81	156.56	104.52	67
11. नैनीताल	23.25	23.25	100	614.50	393.65	64
12. पिथौरागढ़	1.36	1.36	100	475.96	146.13	31
13. उधमसिंहनगर	41.73	20.81	50	4386.64	636.19	15
मण्डल का योग	**71.96**	**50.48**	**70**	**6063.43**	**1549.81**	**26**
महायोग	**240.50**	**217.83**	**91**	**12981.23**	**4968.04**	**38**

- **<u>प्रदेश के राजस्व परिषद् के सम्परीक्षा दल द्वारा सम्पादित आडिट कार्य –</u>**

1– राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड के सम्परीक्षा दलों द्वारा दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.01.2014 के मध्य लम्बित कुल 1959 आडिट आपत्तियों में से आन्तरिक लेखा परीक्षा उप समिति की स्वीकृति पर 297 आडिट आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

2– राजस्व विभाग में सेवानिवृत्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के प्रकरणों में जांच के उपरान्त 77 प्रकरणों में 90 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति प्रदान की गयी है तथा शासन के विरूद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा के अन्तर्गत प्राप्त 103 प्रकरणों में विस्तृत जाचोपरान्त प्री–आडिट की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

23. मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण –

- **राजस्व उपनिरीक्षक/पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु नई व्यवस्था –**

शासनादेश संख्या–471/XVIII(1)/2011–3/2008 दिनांक 02 अप्रैल, 2011 द्वारा राजस्व पुलिस संवर्ग पटवारी/पटवारी अनुसेवक के पदनाम क्रमशः राजस्व उप निरीक्षक व राजस्व सेवक करते हुए शैक्षित अर्हता राजस्व उप निरीक्षक की सीधी भर्ती इण्टर मीडिएट के स्थान पर स्नातक की गई है तथा राजस्व पुलिस संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए न्यूनतम 09 माह के प्रशिक्षण की अनिवार्य व्यवस्था की गई है, इसमें 06 माह का प्रशिक्षण पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल, उत्तराखण प्रलिस प्रशिक्षण केन्द्र नरेन्द्रनगर, उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी, भवाली तथा 03 माह का फील्ड प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा। संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि तभी अनुमन्य होगी, जब उनके द्वारा यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया जायेगा।

- **राजस्व निरीक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था –**

राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में वर्ष 2004 से प्रारम्भ हुये राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण में अब तक 10 बैचों में 622 प्रशिक्षणार्थियों (पटवारी/लेखपाल) को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 456 पर्वतीय पटवारी एवं 166 लेखपाल/भूमि अध्याप्ति अमीन एवं सर्वे कानूनगों मैदानी संवर्ग के थे।

(3) विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पटल –

- **राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद की संयुक्त वैबसाइट का प्रारम्भ एवं संचालनः–**

दिनांक 01 अगस्त, 2013 को राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद की एक संयुक्त वैबसाइट http://www.revenue.uk.gov.in/ का प्रारम्भ किया गया। राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रकाशन नियमित रूप से उक्त साइट पर किया जार रहा हैं।

न्यायालय राजस्व परिषद के अप्रैल, 2013 से आतिथि तक समस्त निर्णयों का प्रकाशन भी वैबसाइट पर किया गया है। समय–समय पर सूचनाओं को अध्यावधिक किया जाता है।

- **विभागों के महत्वपूर्ण सूचनाओं का (suo moto) वेबसाइट पर स्वतः प्रकाशन –**

सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण सूचनायें सबकी पहुंच में रखने के लिए उन्हें स्वतः (suo moto) वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत www.ugod.uk.in पर महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकाशन के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं ताकि जनता को हर सूचना जानकारी हेतु कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उक्त वेबसाइट पर परिषद् स्तर से भी सूचनाओं का प्रकाशन किया जा रहा है।

- **उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011–**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1353/31(13)/2011 दिनांक 31.1.2011 के परिपालन में राजस्व विभाग से संबंधित चिन्हित सेवाओं के अन्तर्गत जाति प्रमाण,निवास प्रमाण पत्र,हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र,स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र, दैवी आपदा, आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण व खतौनी आर0ओ0आर0 की प्रति आदि सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों की माह दिसम्बर 2013 तक निस्तारण की स्थिति निम्नवत हैः–

क0 सं0	राजस्व विभाग	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदनों की संख्या	समय सीमा के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी द्वारा निस्तारित–आवेदन पत्रों की संख्या	पदाभिहित अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत/अनिस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	गढवाल मण्डल पौड़ी	56367	52524	3843
2	कुमाऊँ मण्डल नैनीताल	36617	33933	2684

- **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना –**

गढवाल एवं कुमायूँ मण्डल में शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ तथा जनपदों में शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ के सृजन के सम्बन्ध में सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग,उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 165/सु0भ्र0उ0ज0स0/ 2012–02(01)2012दिनांक 21 जून 2012 के अनुसार प्रत्येक जनपद व मण्डल में जिलाधिकारी व आयुक्त कार्यालय में आम जनता की शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्व निस्तारण हेतु **शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ/शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ** की स्थापना की गई हैं। शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता द्वारा अपना मोबाईल/दूरभाष नम्बर एवं पता अंकित करते हुए शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ में कम्प्यूटर में दर्ज की जाती है,जिसमें शिकायतकर्ता को पंजीकरण क्रमॉक आंवटित कर प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जाती है। मण्डल स्तर पर स्थापित शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ में शिकायतों/परिवादों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा करके शिकायतों/परिवादों का निस्तारण समयबद्व रूप से कराते हुए शिकायतकर्ता को परिणाम से 90 दिन के अंदर अवगत कराया जाता है। जिन शिकायतों का निस्तारण मण्डल/विभागध्यक्ष/शासन स्तर से होना है, उन्हें अंतरित करते हुए उसका निराकरण कराये जाने की व्यवस्था है।

- **समाधान योजना** – राज्य सरकार द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें online दर्ज करने एवं निर्धारित अवधि में उनका निस्तारण कर सूचना online किये जाने की व्यवस्था समाधार पोर्टल पर दिनांक 26.01.2013 से प्रारम्भ की गयी है। इस व्यवस्था में राज्य में कितनी एवं क्या–क्या शिकायतें दर्ज की गयी है, कितनी शिकायतों का क्या निस्तारण हुआ, कितनी शिकायतें लम्बित हैं, यह सब सामान्य रूप से वेबसाइट पर दृश्य होगी जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता अथवा सक्षम अधिकारी से इसे प्रतिबन्धित न कर दिया जाय। शिकायतकर्ता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/वस्तुओं को प्रदान किये जाने में अर्चन/अनौचित्यपूर्ण विलम्ब, नियम विरूद्ध किसी लोक प्रधिकारी के कार्य अनियमितता किसी कानून अधिनियम, शासनादेश नीति का उल्लंघन, किसी योजना कार्यक्रम में अनियमितता आदि की शिकायत के तौर पर दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज करने पर आवेदनकर्ता के मोबाईल नम्बर पर एक यूनिक कोड sms के माध्यम से प्राप्त होगा इस यूनिक कोड को निर्धारित स्थान पर अंकित कर submit करने पर शिकायत अन्तिम रूप से दर्ज हो जायेगी। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को गोपनीय रखने का विकल्प चयन कर उसकी शिकायत आम जनता/सम्बन्धित अधिकारी के लिए दृश्य नहीं होगी, किन्तु यथा आवश्यकता मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर शिकायत देखी जा सकती है।

- **लोक शिकायत निवारण** – जिलाधिकारी स्तर पर दर्ज शिकायतों पर 30 दिनों के अन्दर निस्तारित करना होगा, यदि 30 कार्यदिवस में शिकायत निस्तारित होती है तो स्वतः मण्डलायुक्त के स्तर पर अन्तरित हो जायेगी। मण्डलायुक्त द्वारा इसे 15 दिन में निस्तारित करवाया जायेगा। यदि मण्डलायुक्त द्वारा 15 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर निस्तारित नहीं कराया जाता है तो शिकायत स्वतः ही मुख्य सचिव के स्तर पर अंकित हो जायेगी। इसी प्रकार निदेशक/विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर दर्ज शिकायत को भी 30 कार्यदिवस में ही

निस्तारित करना होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारित न होने पर शिकायत स्वतः ही सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को अन्तरित हो जायेगी, जिन्हें 15 दिनों के अन्दर इसे निस्तारित करना होगा, यदि निर्धारित अवधि में यह निस्तारण नहीं होता है तो शिकायत स्वतः मुख्य सचिव को अन्तरित हो जायेगी।

- **ई–प्रोक्योरमेंट/ई–टेंडर योजना** – उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 में प्रस्तर–17 में राज्य के सभी सरकारी विभागों के ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासन के वित्त अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–102/XXVII (7)/2011 दिनांक 06 जुलाई, 2011 द्वारा राज्य में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किया गया है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–222/XXVII(7)/2012 दिनांक 31 जुलाई, 2012 के द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागों में रू0 5.00 लाख अथवा इससे ऊपर की धनराशि की समस्त सेवाओं एवं सामग्रियों तथा रू0 1.00 करोड़ से ऊपर की धनराशि के समस्त निर्माण कार्यों की अधिप्राप्तियों ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम से करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड में भी ई–प्रोक्योरमेंट प्रकोष्ठ गठित किया जा चुका है तथा भविष्य में उक्त योजना को नियमानुसार लागू किया जायेगा।

- **<u>गैर सरकारी संगठनो/सिविल सोसाइटी/औद्योगिक घरानों व अन्य द्वारा आपदा राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के कार्यो का समन्यवयनः–</u>**

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गांवो/बस्तियों को अंगीकृत करने के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने, उपयुक्त आपदा प्रभावित ग्रामों/बस्तियों का चयन करने तथा चयनित गांवों/बस्तियों मे प्रायोजक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का समन्वय करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2013 को प्राधिकृत किया गया।

समन्वयक के रूप में राजस्व परिषद द्वारा निम्न कार्य किये गयेः–

(क) CPACT की स्थापना–

- समस्त गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी तथा औद्योगिक घरानों का जिला प्रशासन से समन्वय कराते हुए पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास गति विधियों चयन, प्रारम्भ व कियान्वित करने हेतु आई0डी0एफ0सी0 फाउनडेशन के साथ करार कर राजस्व परिषद में एक सैल CPACT का गठन किया गया।
- राजस्व परिषद द्वारा समस्त संस्थाओं के कार्यो एवं गतिविधियों का ब्यौरा तैयार करवाया जा रहा है।
- क्षेत्र भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।

(ख) मीडिया स्कैनिंग तथा सूचनाओं का प्रचार–प्रसार–

- राजस्व परिषद द्वारा मुख्य राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया में प्रकाशित आपदा से सम्बंधित समाचारों का संकलन कर सोशल मीडिया (Facebook) में 'हमारा हिमांगन' नाम से एक पेज पर प्रकाशित किया जा रहा है। अभी तक इस प्रकार के 10 संकलन प्रकाशित करवाये गये है।

शीघ्र ही आपदा राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे कार्यो से सम्बंधित वैबसाइट प्रारम्भ की जा रही है।

(ग) आवश्यकताओं का चिन्हीकरण–

- आपदा से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित ग्रामों में मुख्य आवश्यकताओं व महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है ताकि पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यों को सही दिशा मिल सके ।

(घ) गैर सरकारी संगठनों एवं औद्योगिक घरानों के बीच साझेदारी हेतु समन्वय–

- जिन गैर सरकारी संगठनों एवं औद्योगिक घरानों द्वारा राहत कार्यो में सराहनीय योगदान दिया गया उन्हें राजस्व परिषद द्वारा सम्मानित करवाया गया ।
- औद्योगिक घरानों एव गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर प्रभावित क्षेत्र व व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों/गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करवायी गयी है। इसी क्रम में औद्योगिक घरानों व गैर संगठनों के बीच साझेदारी से इन कार्यक्रमों को अम्लीजामा पहनाने की योजना है।
- अब तक विभिन्न गैर सरकारी संगठनों/औद्योगिक घरानों व सरकारों को कुल 79 प्रभावित ग्राम अंगीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।
- वर्तमान में जनपद रूद्रप्रयाग में कुल 85, जनपद चमोली में 37, जनपद उत्तरकाशी मे 11 तथा जनपद पिथौागढ में 10 गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहें है।
- भविष्य में पुनर्निमार्ण एवं पुनर्वास कार्यो में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों/औद्योगिक घरानों द्वारा निवेश की जाने वाली धनराशि का जनपदवार ब्यौरा निम्नवत हैः–

जनपद	हस्ताक्षरित समझौता पत्र		प्रतिबद्ध निवेश (करोड में)	
	आतिथि तक	अपेक्षित	आतिथि तक	अपेक्षित
रूद्रप्रयाग	57	60	192	212
उत्तरकाशी	07	08	08	10
चमोली	08	10	11	13
अन्य	00	02	00	05
योग	**72**	**80**	**211**	**240**

स्रोतः– यू0एन0डी0एम0टी0

(4) वित्तीय वर्ष 2013–14 बजट प्राविधान/लक्ष्य प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान सं0–06 के अर्न्तगत शासन द्वारा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत सूचना का विवरण।

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(धनराशि हजार में)

लेखा षीर्षक	आय–व्ययक प्राविधान	माह दिसम्बर, 2013 तक का
2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापना–03–कलेक्ट्री स्थापना	897231	604229
2053 जिला प्रशासन–101–आयुक्त अधिष्ठान–03–मुख्य कार्यालय	32191	22289
2053 जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापना–03–राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र	5826	3751
2029–भूराजस्व–भू–103–अभिलेख–03–अधिष्ठान व्यय	939057	615825
2029–जिला भूराजस्व–101–संग्रह अधिष्ठान–03–भू–अभिलेख (मालगुजारी के)	384911	243770
2029 भू–राजस्व–001– निदेशन तथा प्रशासन–04–राजस्व आयुक्त अधिष्ठान	23571	15349
2029 जिला भूराजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–भूमि अध्याप्ति अधिष्ठान	49046	29154
2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–राजस्व पुलिस का सुदृढ़ीकरण	1750	163
2029–भू–राजस्व–800–अन्य व्यय प्रशासन–03–खेतों की चकबन्दी–0302–जिला अधिष्ठान	70640	47779
योग–	**2404223**	**1582309**

वार्षिक योजना 2013–14 में आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित परिव्यय, बजट प्राविधान, स्वीकृति और व्यय विवरण।

फरवरी, 2014 तक की स्थिति (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	राज्य सेक्टर		केन्द्रपोषित		कुल व्यय
		स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	
1	कृषि गणना (100%केन्द्रपोषित)	—	—	205.6	19.96	19.96
2	पटवारी चौकियों का निर्माण	50	—	—	—	—
3	तहसीलों के आ0/अना0 भवनों के निर्माण	600	294.88	—	—	294.88
4	कानूनगो चौकियों का निर्माण (50% के द्वारा)	—	—	—	—	—
5	कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण	400	137.23	—	—	137.23
6	राष्ट्रीय भूमि संशाधन एवं प्रबन्धन कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0 के0पी0)	—	—	—	—	—
योग		**1050**	**432.11**	**205.6**	**19.96**	**452.07**

वित्तीय वर्ष 2014–15 प्रगति/लक्ष्य प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान सं0–06 के अर्न्तगत शासन द्वारा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत सूचना का विवरण।

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(धनराशि हजार में)

लेखा शीर्षक	आय–व्ययक प्राविधान (वर्ष 2014–15)
2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापना– 03–कलेक्ट्री स्थापना	996281
2053 जिला प्रशासन–101–आयुक्त अधिष्ठान–03–मुख्य कार्यालय	35177
2053 जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापना–03–राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र	6357
2029–भूराजस्व–भू–103–अभिलेख–03–अधिष्ठान व्यय	1007757
2029–जिला भूराजस्व–101–संग्रह अधिष्ठान–03–भू–अभिलेख (मालगुजारी के)	400711
2029 भू–राजस्व–001– निदेशन तथा प्रशासन–04–राजस्व आयुक्त अधिष्ठान	24006
2029 जिला भूराजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–भूमि अध्याप्ति अधिष्ठान	54486
2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–राजस्व पुलिस का सुदृढ़ीकरण	1750
2029–भू–राजस्व–800–अन्य व्यय प्रशासन–03–खेतों की चकबन्दी–0302–जिला अधिष्ठान	78890
योग–	**2605415**

कृषि गणना

भूमिका

कृषि विकास की योजनाओं के नियोजन में कृषि सांख्यिकी का विशेष महत्व है। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत कृषि गणना में कृषकों की जोत का आकार, जाति, लिंग के आधार पर कृषकों की संख्या, जोत का औसत आकार आदि की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कृषि गणना का कार्य प्रदेश मुख्यालय में कृषि गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) के अन्तर्गत एक सांख्यिकी प्रकोष्ठ के गठन के लिए पदों के वेतन, भत्ते तथा योजना के क्षेत्रीय कार्यों के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है। उत्तराखण्ड में प्रदेश के गठन से ही कृषि गणना का कार्य राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में कृषि सांख्यिकी के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा जनपदों में जिलाधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में परगनाधिकारियों एवं तहसीलदारों की देख–रेख में राजस्व निरीक्षक, पटवारियों/लेखपालों द्वारा किया जाता है।

कृषि गणना का कार्य निम्नानुसार तीन चरणों में कराया जाता है:–

1– प्रथम चरण में जातिवार, जोत के वर्गानुसार, कृषक के लिंगानुसार कुल जोतों की संख्या, जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा औसत जोत के आंकड़े राजस्व विभाग की प्रशासनिक इकाईवार संकलित किये जाते हैं।**(T-1 Census)**

2– द्वितीय चरण में जोत के वर्गानुसार तथा सामाजिक वर्गबार भूमि उपयोगिता, सिंचाई सांख्यिकी, वटाई **(Tenancy)** की स्थिति, विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के अनुमान लगाये जाते हैं। **(Schedule-H Survey)**

3– तृतीय चरण में जोत के वर्गानुसार विभिन्न कृषकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कृषि आदानों **(Input)** जैसे कि बीज, रसायनिक खाद, जैविक खाद, कीटनाशक रसायनों, कृषि ऋण, उपयोग में लाए जा रहे कृषि यन्त्रों की संख्या एवं पशुओं की संख्या के अनुमान लगाये जाते हैं। **(Input Survey)**

कृषि गणना 2010–11

वर्ष 2010–11 का आधार वर्ष मानकर कृषि गणना 2010–11 का प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा विभिन्न जनपदों से प्राप्त तहसीलवार तालिका–1 के आधार पर प्राप्त प्रोविज़नल आंकड़े भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे गये थे जिसका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

कृषि गणना 2010–11
तालिका–1 क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्र. सं.	आकार वर्ग	लिंग	संस्थागत		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य		समस्त	
			संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	सीमान्त (1.0 से कम)	पुरूष	0	0.00	99511	36101.60	15769	5628.57	484783	221297.47	600063	263027.64
		महिला	0	0.00	9785	3636.06	1333	463.05	59644	28017.14	70762	32116.25
		कुल	1313	412.56	109296	39737.66	17102	6091.62	544427	249314.61	672138	295556.45
2	लघु (1.0 से 2.0)	पुरूष	0	0.00	11398	15601.28	4203	6097.16	127486	182747.95	143087	204446.39
		महिला	0	0.00	834	1136.91	233	333.91	12903	18814.05	13970	20284.87
		कुल	273	392.63	12232	16738.19	4436	6431.07	140389	201562.00	157330	225123.89
3	अर्द्ध मध्यम (2.0 से 4.0)	पुरूष	0	0.00	3213	8281.35	4431	12622.39	52852	142982.15	60496	163885.89
		महिला	0	0.00	168	424.77	165	451.05	3764	10092.21	4097	10968.03
		कुल	188	527.72	3381	8706.12	4596	13073.44	56616	153074.36	64781	175381.64
4	मध्यम (4.0 से 10.0)	पुरूष	0	0.00	423	2175.24	3212	18615.74	12754	68608.26	16389	89399.24
		महिला	0	0.00	12	52.75	68	366.44	726	3787.16	806	4206.35
		कुल	107	615.07	435	2227.99	3280	18982.18	13480	72395.42	17302	94220.66
5	वृहत (10.0 से अधिक)	पुरूष	0	0.00	7	123.54	254	3211.87	689	10794.45	950	14129.86
		महिला	0	0.00	0	0.00	5	70.28	23	450.49	28	520.77
		कुल	121	10750.82	7	123.54	259	3282.15	712	11244.94	1099	25401.45
6	कुल	पुरूष	0	0.00	114552	62283.01	27869	46175.73	678564	626430.28	820985	734889.02
		महिला	0	0.00	10799	5250.49	1804	1684.73	77060	61161.05	89663	68096.27
		कुल	2002	12698.80	125351	67533.50	29673	47860.46	755624	687591.33	912650	815684.09
कुल से प्रतिशत			**0.21**	**1.56**	**13.73**	**8.28**	**3.25**	**5.87**	**82.79**	**84.30**	**100.00**	**100.00**

क्र.सं.	आकार वर्ग	लिंग	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
			संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	सीमान्त	पुरूष	99511	36101.6	15769	5628.57
		महिला	9785	3636.06	1333	463.05
		कुल	109296	39737.66	17102	6091.62
2	लघु	पुरूष	11398	15601.28	4203	6097.16
		महिला	834	1136.91	233	333.91
		कुल	12232	16738.19	4436	6431.07
3	योग	पुरूष	**110909**	**51702.88**	**19972**	**11725.73**
		महिला	**10619**	**4772.97**	**1566**	**796.96**
		कुल	**121528**	**56475.85**	**21538**	**12522.69**

कृषि गणना 2010–11 का द्वितीय चरण का क्षेत्रीय कार्य पूर्ण करवाकर इससे सम्बन्धित रूपपत्रों की मुख्यालय द्वारा स्क्रूटनिंग एवं डाटा एन्ट्री की जा चुकी है तथा आकड़ें भारत सरकार प्रेषित किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा भेजी गयी तालिका–2 से तालिका–7 तक के आकड़ों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

इनपुट सर्वे 2011–12

इनपुट सर्वे 2011–12 क्षेत्रीय कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इनकी मुख्यालय द्वारा समस्त 1165 ग्रामों की स्क्रूटनिंग एवं डाटा एन्ट्री का कार्य गतिमान है।

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त तहसीलवार तालिका–1 के आधार पर उत्तराखण्ड की क्रियात्मक जोतों तथा क्रियात्मक जोतों के क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार तालिका–1 में दिया गया है–

1– कृषि गणना 2010–11 के अनुसार प्रदेश में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या 9.12 लाख एवं क्षेत्रफल 8.16 लाख हेक्टेयर है। क्रियात्मक जोतों का औसत आकार 0.89 हेक्टेयर है।

2– संस्थागत जोतों संख्या 0.02 लाख एवं क्षेत्रफल 0.13 लाख हेक्टेयर है। जोतों का औसत आकार 6.34 हेक्टेयर है।

3– अनुसूचित जाति जोतों की संख्या 1.25 लाख एवं क्षेत्रफल 0.67 लाख हेक्टेयर है। जोतों का औसत आकार 0.54 हेक्टेयर है

4– अनुसूचित जनजाति जोतों की संख्या 0.29 लाख एवं क्षेत्रफल 0.48 लाख हेक्टेयर है। जोतों का औसत आकार 1.68 हेक्टेयर है।

5– अन्य जोतों की संख्या 7.55 लाख एवं क्षेत्रफल 6.88 लाख हेक्टेयर है। जोतों का औसत आकार 0.91 हेक्टेयर है।

कृषि सांख्यिकी

कृषि सांख्यिकी का समस्त कार्य राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में तथा संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), कृषि विभाग के प्राविधिक नियन्त्रण में कराया जाता है। प्रदेश के मैदानी भागों के समस्त ग्रामों में कृषि वर्ष के तीनों मौसमों यथा खरीफ, रबी व जायद तथा पर्वतीय भाग में पंचवर्षीय पड़ताली रोस्टर के आधार पर प्रत्येक वर्ष कुल ग्रामों के 1/5 ग्रामों में कृषि वर्ष के दो मौसमों यथा खरीफ व रबी में राजस्व विभाग द्वारा लेखपालों/राजस्व उपनिरीक्षकों के माध्यम से पड़ताल के आधार पर विभिन्न फसलों से आच्छादित सिंचित तथा अंसिंचित क्षेत्रफल के आंकड़ों के साथ–साथ भूमि उपयोगिता सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित कराये जाते हैं। पड़ताल (क्षेत्रफल परिगणना) का कार्य तीनों कृषि मौसमों यथा खरीफ, रबी एवं जायद में लेखपालों/राजस्व उपनिरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार किया जाता है:–

मौसम	पड़ताल हेतु निर्धारित समय सारिणी	
	पर्वतीय भाग	मैदानी भाग
1. खरीफ	10 अगस्त से 31 अक्टूबर	10 अगस्त, से 25 सितम्बर
2. रबी	15 जनवरी से 15 मई	01 जनवरी से 15 फरवरी
3. जायद	–	01 मई से 31 मई
4. विशेष पड़ताल	–	माह नवम्बर के तृतीय सप्ताह में (01 सप्ताह)

प्रत्येक मौसम में राजस्व उपनिरीक्षक (पूर्व में पटवारी) /लेखपाल पड़ताल के समय खसरा रजिस्टर में प्रत्येक खसरा नम्बर के सम्मुख पाई गई फसल सिंचित एवं असिंचित के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, प्रविष्टि करता है। मौसम विशेष में समस्त खसरा नम्बरों में प्रविष्टि के उपरान्त राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल खसरा पृष्ठवार योग करता है तथा अन्त में समस्त खसरा पृष्ठों का योग करते हुए उस मौसम में गॉव विशेष में बोई गई विभिन्न फसलों से आच्छादित सिंचित व असिंचित क्षेत्रफल के आंकड़ो को ज्ञात करता है। इन योगों के आधार पर गॉव का जिन्सवार तैयार किया जाता है। तहसील स्तर पर तहसील के अन्तर्गत प्रत्येक गाँवों से प्राप्त जिन्सवारों को टोटलिंग रजिस्टर में अंकित करते हुए न्याय पंचायत वार, विकासखण्डवार एवं तहसीलवार जिन्सवार तैयार किया जाता है। जनपद स्तर पर तहसीलों से प्राप्त जिन्सवारों को समेकित करते हुए जनपदीय जिन्सवार निम्न तिथियों को राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड कार्यालय तथा संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश स्तर पर जिन्सवार एवं मिलान खसरा के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियॉ

मौसम	जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग द्वारा)	
	पर्वतीय भाग	मैदानी भाग
खरीफ जिन्सवार	10 दिसम्बर	25 नवम्बर
रबी जिन्सवार	01 जुलाई	15 अप्रैल
जायद जिन्सवार	—	01 जुलाई
मिलान खसरा	10 जुलाई	10 जुलाई
विशेष पड़ताल	—	15 दिसम्बर

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड स्तर पर जनपदों से प्राप्त जिन्सवारों में प्रतिवेदित क्षेत्रफल के आंकड़ों का परीक्षण एवं संकलन करते हुए विभिन्न फसलों के अन्तर्गत जनपद एवं प्रदेश स्तर के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार किये जाते हैं। उपरोक्त खरीफ, रबी एवं जायद की पड़ताल का निरीक्षण जिले के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा करायी जाती हैं।

टाईमली रिपोर्टिंग स्कीम (Timely Reporting Scheme, TRS)

उपरोक्तानुसार फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल के आंकड़े पड़ताल समाप्त होने की तिथि से राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड स्तर पर प्राप्त होने तक लगभग तीन से छह माह

का समय लग जाता है जबकि प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण के लिए फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल एवं उपज के पूर्वानुमान की आवश्यकता पहले ही होती है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 1968–69 से टाईमली रिपोर्टिंग योजना (टी0आर0एस0) लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी भागों में प्रत्येक वर्ष कुल राजस्व गांवों का 1/5 गॉव न्यादर्श प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर चयन करके इन चयनित गॉवों में पड़ताल के प्रारम्भ होने की तिथि से प्राथमिकता के आधार पर पड़ताल सम्पन्न कराते हुए फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल एवं उपज के पूर्वानुमान तैयार किये जाते हैं। पर्वतीय भाग में विपरीत स्थितियां (प्रत्येक राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल औसत के आधार पर लगभग छः हजार खसरा नम्बरों की पड़ताल करता है, लेकिन पर्वतीय भाग में प्रत्येक राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र में औसतन तीस हजार खसरा नम्बर होने की वजह से पर्वतीय भाग में पड़ताल पंचवर्षीय रोस्टर के आधार पर की जाती है ताकि प्रत्येक राजस्व उपनिरीक्षक को औसतन लगभग छः हजार खसरा नम्बरों में ही पड़ताल करनी पड़े) होने की वजह से प्रत्येक राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र में वर्ष के रोस्टर के प्रथम गांव में प्राथमिकता के आधार पर पड़ताल सम्पन्न कराते हुये फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल एवं उपज के पूर्वानुमान तैयार किये जाते हैं।

मौसम	टी.आर.एस. तालिका कृषि निदेशालय पहुँचने की निर्धारित तिथि	
	पर्वतीय भाग	मैदानी भाग
1. खरीफ	15 सितम्बर	31 अगस्त
2. रबी	20 फरवरी	31 जनवरी
3. जायद	—	25 मई

<u>योजना के उद्देश्यः</u>

योजना के उद्देश्य निम्नवत् हैं।

1. खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में मुख्य फसलों के क्षेत्रफल सम्बन्धी विश्वसनीय प्राथमिक अनुमान फसलों की बुवाई के तुरन्त बाद एवं फसलों के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान फसलों के कटाई के तुरन्त बाद उपलब्ध कराना।
2. मुख्य फसलों के कुल एवं सिंचित क्षेत्रफल के अनुमान अलग–अलग निकालना।
3. प्रमुख फसलों के उन्नतशील प्रजाति के क्षेत्रफल का अनुमान लगाना।

फसल उत्पादन सर्वे (General Crop Estimation Survey, GCES)

खरीफ, रबी तथा जायद की मुख्य खाद्य व अखाद्य फसलों की उपज के अनुमान लगाने के लिए मुख्य फसलों पर न्यादर्श सर्वेक्षण पर आधारित क्राप–कटिंग प्रयोग कराये जाते हैं। ये प्रयोग राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), उत्तराखण्ड के प्रावैधिक आदेशों के अनुसार कराये जाते हैं। इस कार्य में कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड और उनके विभाग के अधिकारी तथा जिला स्तर पर राजस्व विभाग, विकास विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारीगण, जिलाधिकारी द्वारा आंवटित क्षेत्रीय कार्य (क्राप–कटिंग) का निरीक्षण मोके पर करते हैं।

कृषि सांख्यिकी के सुधार की योजना (Improvement in Crop Statistics, ICS)

फसलों के वास्तविक आच्छादित क्षेत्रफल तथा उपज के आंकलन की वर्तमान प्रणाली में आने वाली विसंगतियों एवं अवरोधों को ज्ञात करने के उपायों की खोज करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 1974–75 से **"कृषि सांख्यिकी के सुधार' की योजना'** (आई0सी0एस0) प्रारम्भ की गयी।

यह योजना कृषि सांख्यिकी तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, दोनों के कर्मचारियों द्वारा मैचिंग सैम्पल के निरीक्षण पर आधारित है। इस योजना के अन्तर्गत पड़ताल जांच, खसरा रजिस्टर से पृष्ठवार टोटल की जांच तथा क्राप कटिंग जांच का कार्य किया जाता है।

जिलों से प्राप्त खरीफ, रबी एवं ज़ायद जिन्सवारों तथा मिलान खसरों की जांचोपरान्त भूमि उपयोग के वर्ष 2012–13 के आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के भूमि उपयोगिता के आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	भूमि उपयोग वर्गीकरण		क्षेत्रफल– हे. में			
			वर्ष			
			2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	भौगोलिक क्षेत्रफल		5348300	5348300	5348300	5348300
2	भूमि उपयोग के आंकड़ों के लिये प्रतिवेदित क्षेत्रफल		5672568	5672378	5672636	5672636
3	वन		3485847	3484803	3484803	3484803
	खेती के लिये उपलब्ध नहीं	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई जा रही भूमि	216534	216404	217648	218034
		बंज़र और अकृष्य भूमि	224480	224503	224764	224851
		योग	441014	440907	442412	442885
4	परती भूमि के अलावा अकृष्य भूमि	स्थाई चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	198737	198432	198526	198524
		विविध वृक्ष, शस्यों, और उपवनों वाली भूमि जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं है	383987	383427	385548	385699
		बेकार कृष्य भूमि	303144	309466	310390	311124
		योग	885868	891325	894464	895347
5	परती भूमि	अन्य परती	70967	80235	84498	86968
		वर्तमान परती	35161	34009	43295	48444
		योग	106128	114244	127793	135412
6	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल		753711	741099	723164	714189
7	कुल बोया गया क्षेत्रफल		1188462	1166380	1169697	1131804
8	एक वार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल		434751	425281	446533	417615
9	फसल गहनता (प्रतिशत में)		157.68	157.39	161.75	158.47
10	वास्तविक बोया गया सिंचित क्षेत्रफल		340129	338493	336136	339397
11	सम्पूर्ण बोया गया सिंचित क्षेत्रफल		569769	566599	561733	554837
12	एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल		229640	228106	225597	215440

भूमि उपयोग (वर्षः 2011–12) के आंकड़ों की व्याख्या

उत्तराखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 बर्ग किलोमीटर है जिसमें से 7448 वर्ग कि. मी. (13.93%) मैदानी भाग एवं शेष 46035 बर्ग कि.मी.(86.07%) पर्वतीय भाग है।

- प्रदेश का भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल 56.72 लाख हे. है।
- प्रदेश में वन का क्षेत्रफल 34.85 लाख हे. है जो कि प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 61.43 प्रतिशत एवं भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.16 प्रतिशत है।
- प्रदेश में कुल 4.43 लाख हे. क्षेत्रफल खेती के लिए उपलब्ध नहीं है जिसमें से 3.54 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.89 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है।
- परती भूमि के अतिरिक्त अकृष्य भूमि 8.95 लाख हे. है जिसमें से 8.77 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र एवं 0.18 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है।
- प्रदेश में कुल 1.35 लाख हे. क्षेत्रफल परती रहा जिसमें से 1.05 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.30 लाख हे. मैदानी है। वर्तमान परती भूमि के अन्तर्गत 0.48 लाख हे. भूमि रही जिसमें से 0.40 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.08 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है।
- प्रदेश का वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 7.14 लाख हे. रहा जिसमें से 4.00 लाख हे. (56. 02%) पर्वतीय क्षेत्र में एवं 3.14 लाख हे. (44.12%) मैदानी क्षेत्र में है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल 4.18 लाख हे. रहा जिसमें से 2.16 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 2.02 लाख हे. मैदानी है।
- प्रदेश में 3.37 लाख हे. वास्तविक सिचिंत क्षेत्रफल है जो कि बोये गये क्षेत्रफल का (47प्48:) है। सिंचित क्षेत्रफल में से 0.42 लाख हे. ;12प्68:द्ध पर्वतीय क्षेत्र में तथा 2.95 लाख हे. (87.32:द्ध मैदानी क्षेत्र में है।
- प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल 11.32 लाख हे. रहा जिसमें से 6.16 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 5.16 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है। राज्य में कुल बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत खरीफ का कुल बोया गया क्षेत्रफल 6.61 लाख हे. है, जिसमें से 3.82 लाख हे. पर्वतीय एवं 2.79 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। रवी में कुल बोया गया क्षेत्रफल 4.36 लाख हे. है, जिसमें से 2.33 लाख हे. पर्वतीय एवं 2.02 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में जायद का कुल बोया गया क्षेत्रफल 0.34 लाख हे0 है। राज्य में कुल बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत धान का क्षेत्रफल 2.75 लाख हे., मक्का का क्षेत्रफल 0.26 लाख हे., मडुंवा का

क्षेत्रफल 1.15 लाख हे., गेहूँ का क्षेत्रफल 3.56 लाख हे., जौ का क्षेत्रफल 0.21 लाख हे., अन्य धान्य का क्षेत्रफल 0.66 लाख हे. है। राज्य में कुल दालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 0.52 लाख हे., गन्ना का क्षेत्रफल 1.04 लाख हे, अन्य किराने एवं मसालों का कुल क्षेत्रफल 0.10 लाख हे. है एवं कुल फलों एवं सब्जियों का क्षेत्रफल 0.46 लाख हे. है।

- प्रदेश में कुल बोया गया सिंचित क्षेत्रफल 5.55 लाख हे. रहा जिसमें से 0.80 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 4.75 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है। राज्य में कुल बोये गये सिचिंत क्षेत्रफल के अन्तर्गत खरीफ का कुल बोया गया सिंचित क्षेत्रफल 2.90 लाख हे. है, जिसमें से 0.41 लाख हे. पर्वतीय एवं 2.49 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। रवी में कुल बोया गया सिंचित क्षेत्रफल 2.32 लाख हे. है, जिसमें से 0.38 लाख हे. पर्वतीय एवं 1.93 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में जायद का कुल बोया गया सिंचित क्षेत्रफल 0.33 लाख हे0 है।
- प्रदेश की फसल सघनता 158.47 प्रतिशत रही। पर्वतीय क्षेत्र की फसल सघनता 154.14 प्रतिशत एवं मैदानी क्षेत्र की फसल सघनता 163.98 प्रतिशत रही।
- भूमि उपयोगिता वर्ष 2011–12 की विभिन्न श्रेणियों के प्रतिशत वर्गीकरण का विवरण निम्नानुसार रहा